



सार्वजनिक नीलामी द्वारा सम्पत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियमानुसार) (नियम 8 (6) के तहत)

[illegible][illegible]

उपरोक्त सम्यक्तियों का पूर्ण विवरण एवं अन्य जानकारी सम्बन्धित शाखा के पास उपलब्ध है।

[illegible]

दिनांक:- 24.02.2023, स्थान- अमरोहा व मुरादाबाद

प्राधिकृत अधिकारी, प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक